संख्या-331/2024/I/748951/2024/23-11099(099)/28/2024

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 20-09-2024**

विषयः- जनपद मीरजापुर में विन्ध्याचल स्टेशन के निकट ब्रिज संख्या-523 पर स्थित अमरावती पाषाण मार्ग पर रेहड़ा नाला पर अतिरिक्त अण्डरपास (आर0यू0बी0) के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1404/अण्डरपास-रेहड़ा नाला/मीरजापुर/सेतु-3/2023, दिनांक 14-12-2023 एवं पत्रांक-697/अण्डरपास-रेहड़ा नाला/मीरजापुर/सेतु-3/2024, दिनांक 02-08-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के नये कार्यो के लिए एकमुश्त व्यवस्था योजनानतर्गत जनपद मीरजापुर में विन्ध्याचल स्टेशन के निकट ब्रिज संख्या-523 पर स्थित अमरावती पाषाण मार्ग पर रेहड़ा नाला पर अतिरिक्त अण्डरपास (आर0यू0बी0) के निर्माण कार्य की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 2465.57 लाख (जिसमें रेलवे भाग की लागत रू0 1689.04 लाख, युटीलिटी शिफ्टिंग की लागत रू0 163.39 लाख, भुमि अध्याप्ति की लागत रू0 540.26 लाख एवं पहुँच मार्ग आदि की लागत रू0 72.87 लाख सम्मिलित है) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति डिपाजिट वर्क के रूप में प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रू0 1232.78 लाख (रूपये बारह करोड़ बत्तीस लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/ प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	लागत	अवमुक्त धनराशि		
				अनु0-57	अनु0-83	योग
1	मीरजापुर	जनपद मीरजापुर में विन्ध्याचल स्टेशन के निकट ब्रिज संख्या-523 पर स्थित अमरावती पाषाण मार्ग पर रेहड़ा नाला पर अतिरिक्त अण्डरपास (आर0यू0बी0) का निर्माण कार्य।	2465.57	971.31	261.47	1232.78

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

5- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

6- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

7- मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

8- यह सुनिश्चित किया जाय कि परियोजना में प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानक के अंतर्गत है।
9- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में भूमि अध्याप्ति (2920 व0मी0) हेतु लागत रू0 540.26 लाख का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन भूमि अध्याप्ति/अधिग्रहण सुनिश्चित किया जाये।
10- रेलवे अण्डर पास की लागत रेलवे द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के अनुसार यथावत सम्मिलित की गयी है। रेलवे अंश की लागत का सम्पूर्ण वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
11- परियोजना को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से कुल 12 माह में पूर्ण करना तथा भविष्य में परियोजना का पुनरीक्षण न किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
12- परियोजना के संबंध में मुख्य अभियन्ता एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराये गये सभी बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में यू0पी0सी0एल0 कार्यो हेतु रू0 159.21 लाख का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में रेलवे अण्डर पास के निर्माण में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग की पुनः आवश्यकता न हो। यूटिलिटी शिफ्टिंग से संबंधित कार्यों का Verification & revalidation स्वयं करते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर सुनिश्चित किया जाय।
14- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में भवनों के ध्वस्तीकरण हेतु रू0 4.18 लाख का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए न्यूनतम आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन भुगतान किया जाये।
15- विद्युत विभाग की यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु एन0एच0ए0आई0 के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
16- प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिषत की जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। विभाग स्तर से सुनिश्तिच किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो। जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविकता के आधार पर देय होगी।
17- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का दायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
18- प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की मात्राओं का यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओ को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
19- प्रश्नगत उपरिगामी सेतु (रेलवे पोर्शन के कार्य को छोड़कर) के निर्माण कार्य को विभागीय कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 होगी।
20- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये लागत का आंकलन किया गया है। आर0यू0बी0 निर्माण की जी0ए0डी0, लम्बाई एवं चौडाई में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
21- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
22- प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति की आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन की कार्यवाही सी0ए0एल0ए0 (कम्पीटेन्ट अथॉरिटी फार लैण्ड एक्वीजीशन) के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जायेगी।
23- परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (सेतु) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।
24- व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
25- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04-03-2024 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
26- लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के

व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

27- सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरश: अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

28- उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (सेतु) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

29- प्रश्नगत आर0यू0बी0 का सी0एम0आई0एस0 पोर्टल का पंजीकरण संख्या-202400003100277 है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) रूपये 9,71,31.000(रूपये नौ करोड़ इकहत्तर लाख इक्कतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010517 रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यो के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (2) रूपये 2,61,47,000(रूपये दो करोड़ इकसठ लाख सैतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891900 रेलवें उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यो के लिये एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-137-X-2024-25- दिनांक: 04-09-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- महाप्रबन्धक, सम्बन्धित रेलवे।
7- प्रमुख अभियंता(परिकल्प/नियोजन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
12- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
13- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
14- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
15- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
16- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
17- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
18- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
19- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।